



Haryana Government Gazette
EXTRAORDINARY
Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 156-2018/Ext.]

घण्डीगढ़, शुक्रवार, दिनांक 14 सितम्बर, 2018
(23 भाद्र, 1940 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	अधिनियम कुछ नहीं।	
भाग II	अध्यादेश कुछ नहीं।	
भाग III	प्रत्यायोजित विधान 1. अधिसूचना संख्या क०आ० 62/ह०अ० 11/1994/घा० 205/2018, दिनांक 14 सितम्बर, 2018 - हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) निधम, 2018. (प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	671-672
भाग IV	शुद्धि-पत्रों, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन कुछ नहीं।	

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT
DEVELOPMENT AND PANCHAYATS DEPARTMENT

Notification

The 14th September, 2018

No. S.O. 62/H.A. 11/1994/S. 209/2018.— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) read with Sub-section (2) of Section 209 of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994 (11 of 1994), and with reference to Haryana Government, Development and Panchayats Department, Notification No. S.O. 54/H.A. 11/1994/S. 209/2018, dated the 1st August, 2018, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Panchayati Raj Rules, 1995, namely :-

1. These rules may be called the Haryana Panchayati Raj (Amendment) Rules, 2018.
2. In the Haryana Panchayati Raj Rules, 1995, in rule 12A, in sub-rule (2), in fourth line, for the words and sign "may considered after passing a resolution," the words "shall consider by passing a resolution and" shall be substituted.

SUDHIR RAJPAL,
Principal Secretary to Government Haryana,
Development And Panchayats Department.

भाग - III

हरियाणा सरकार

विकास तथा पंचायत विभाग

अधिसूचना

दिनांक 14 सितम्बर, 2018

संख्या, का०आ० 82/ह०अ० 11/1994/घा० 209/2018- हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का 11), की धारा 209 की उप-धारा (2) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, विकास तथा पंचायत विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ० 54/ह०अ० 11/1994/घा० 209/2018, दिनांक प्रथम अगस्त, 2018 के प्रति निर्देश त्, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा पंचायती राज नियम, 1995, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. ये नियम हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) नियम, 2018, कहें जा सकते हैं।
2. हरियाणा पंचायती राज नियम, 1995 में, नियम 12क में, उप नियम (2) में, सतुर्थ पंक्ति में, "संकल्प पारित करते हुए" शब्दों के स्थान पर, "संकल्प पारित करते हुए विचार करेगी और" शब्द रखे जायेंगे।

सुधीर राजपाल,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
विकास तथा पंचायत विभाग।